संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए किया गया चयन

संवाददाता देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में वित्तीय वर्ष–2019–20 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जे0एस0 रावत ने सदस्यों को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जनपद में कुल 147 आवेदन प्राप्त हुए है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चयन समिति के सम्मुख रखे गये सभी 147 आवेदनों में कुल 143 आवेदन मानकों के अनुरूप पाये गये, जिनका अनुमोदन समिति द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वाई.एस चौधरी उपस्थित थे।

14 दिसंबर का बहुद्देशीय शिविर निरस्त

संवाददाता देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पंहुचाने तथा आमजन मानस की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण के लिए बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। जनपद में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के रिक्त पदोंध्स्थानों पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा तिथि 03 दिसम्बर 2019 से परिणाम की घोषणा तिथि 21 दिसम्बर 2019 तक सम्बन्धित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, जिस कारण विकासखण्ड कालसी–नागथात 07 दिसम्बर, चकराता–लाखामण्डल में 11 दिसम्बर एवं विकासखण्ड विकासनगर–रूद्रपुर में 14 दिसम्बर 2019 को आयोजित होने वाले बहुद्देशीय शिविर कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है।

भारत–नेपाल ब्लांइड क्रिकेट टी–20 में भारत ने 9 विकेट से नेपाल को हराया

संवाददाता देहरादून। उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एंव अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क) द्वारा राज्य में पहली बार समर्थनम व कैबी के साथ आयोजित किये जा रहे भारत–नेपाल ब्लांइड क्रिकेट टी–20 मैच के दूसरे दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यू0आई0एच0एम0टी0 ग्रुप आफ कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट ललित मोहन जोशी द्वारा दूसरे दिवस के खेल का उद्घाटन किया। यूसर्क के निर्देशक प्रो0 दुर्गेश पंत के दिशा निर्देशन मे चल रहे तीन दिवसीय ब्लांइड क्रिकेट टी– 20 मैच का रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज में सफलता पूर्वक आयोजन किया जा रहा है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक

संवाददाता देहरादून। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् पुनरीक्षण मतदाताओं और संशोधित मतदेय स्थल के सम्बन्ध में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। अपर जिलाधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान बनाये गये निर्वाचन सहायक मतदेय स्थलों को पूर्ण मतदेय स्थल बनाने हेतु आयोग के निर्देशानुसार पायलट प्रोजैक्ट के तहत् जीपीएस लोकेशन के आधार पर तहसीलों से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों तथा बीएलओ के माध्यम से घर–घर जाकर किये गये सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के दौरान मृत, स्थानान्तरित एवं डूप्लीकेट हटाये गये मतदाताओं के विवरण को बताते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में आपत्ति–सुझाव इत्यादि आमंत्रित किये। उन्होंने कहा कि निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के दौरान अभी तक सभी 10 विधानसभाओं में कुल 70,311(सत्तर हजार तीन सौ ग्यारह) ऐसे मतदाताओं को हटाया गया जो मृत, स्थानान्तरित एवं डूप्लीकेट पाये गये साथ ही जनपद की सभी विधानसभाओं में मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु कुल 4030(चार हजार तीस) आवेदन आनलाईन प्राप्त हुए जिनमें से 2563(दो हजार पांच सौ तिरसट) का नाम मतदाता सूची में अपडेट हो चुका है।

शिकायतों का निस्तारण न किये जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश

निर्देश

■मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण न होने पर डीएम ने नाराजगी जताई

संवाददाता

देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 में दर्ज सभी विभागों के लम्बित प्रकरणों के चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने एल–1 स्तर पर शिकायतों के अधिक लम्बित रहने नाराजगी जताते हुए शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये तथा शिकायतों का शीघ्र निस्तारण न किये जाने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी।

उन्होंने एल–2 लेवल के सभी अधिकारियों को एल–1 लेवल के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार समीक्षा करते हुए शिकायतों का निस्तारण करने तथा शिकायतकर्ता से बिना पहल किये अथवा बिना समाधान किये शिकायत को दूसरे स्तर पर स्थानान्तरित करने को गंभीरता लेते हुए कार्यवाही करने के बात कही। साथ ही चेतावनी दी कि जो एल–1 व एल–2 अधिकारी शिकायतों के प्रति गंभीरता नही दिखाते उनके विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टी अथवा वेतन रोकने की कार्यवाही की जायेगी।

डीएम समीक्षा बैठक लेते हुए।

जिलाधिकारी ने ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल पर ऐसे विभाग अथवा संस्थाएं जिनका जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व नही है उनके बारें में विस्तृत होमवर्क करते हुए उनसे सम्बन्धित दर्ज शिकायतों को उनसे जुड़े हुए अन्य विभाग अथवा पृथक तरीके से उसका एकाउण्ट बनाने की बात कही। उन्होंने एल–1– एल–2 स्तर पर अधिक समय शिकायत लम्बित रखने वाले विभागों को समय–समय पर निराकरण हेतु सचेत करने के साथ ही पोर्टल तथा विभागीय डाटा में एकरूपता रखने के भी ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिये। ऐसे विभाग जो बैठक में अनुपस्थित रहे उनको लम्बित प्रकरणों पर उचित कार्यवाही सहित विवरण प्रेषित करने की बात भी कही।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मीनाक्षी जोशी, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश ममगांई, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली, अधिशासी अभियंता लो.नि.वि एस चौहान, डॉ वन्दना सहित अन्य विभागीय अधिकारी, कार्मिक उपस्थित थे।

गंगा किनारे शुरू हुआ डिमार्केशन

सर्वे

■निर्माण कार्यों पर लगेगा प्रतिबंध

देहरादून। **संवाददाता**

ऋषिकेश। उत्तराखंड में बाढ़ से निपटने के लिए एनजीटी के आदेश पर फ्लड जोनिंग सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को दी गई है। सिंचाई विभाग द्वारा गंगा के किनारे पर नदी की गहराई और चौड़ाई के अनुसार डिमार्केशन किया जा रहा है। डिमार्केशन के बाद नदी के किनारे पर निर्माण प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।

गंगा किनारे जहां किया जा रहा है डिमार्केशन।

ऋषिकेश उपजिलाधिकारी प्रेम लाल ने बताया कि एनजीटी द्वारा साइंटफिक तरीके से फ्लड जोनिंग सर्वे के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा गंगा के किनारे पर सर्वे कर डिमार्केशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए यह कार्य किया जा रहा है।

उपजिलाधिकारी का कहना था कि यह सर्वे 3 जोनों में बांटा गया है। जिसमें पूर्व में 25 वर्ष, 50 वर्ष और 100 वर्ष पहले नदी का बहाव क्या था और बाढ़ से कितना नुकसान हुआ था, इसी के मद्देनजर विभाग डिमार्केशन कर रहा है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में गंगा द्वारा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए डिमार्केशन किया जा रहा है। जिसमें नदी के किनारे निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा चाहे वह किसी की निजी भूमि ही क्यों ना हो। वहीं 50 वर्षों और 100 वर्षों वाली स्थिति में कुछ शर्तों के अनुसार ही निर्माण किया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज राज्यपाल माननीय बेबी रानी मौर्य से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की साथ ही पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने इस माह देहरादून में आयोजित होने वाले पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए राज्यपाल महोदय को आमंत्रित किया। राज्यपाल से भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के संबंध में विस्तृत चर्चा वार्ता भी की। इस दौरान राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष से पांच दिवसीय सम्मेलन की तिथि वार होने वाले क्रियाकलाप एवं गतिविधियों की जानकारी ली। अग्रवाल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि उत्तराखंड में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून
ही मान्य होगा।